28.12.22 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 से 4 के वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थिनी(प्रतिवादिनी सं. 4) की बहस है कि विप्रार्थीगण (वादीगण) ने प्रार्थिनी सं. 4 की मौजा भणा मगरा अवस्थित क्रय शुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 208/1 रकब 87.15 बीधा मे से 43.17 बीघा भूमि में स्वयं को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 4/9 हिससे का खातेदार घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। वाद में उक्त भूमि पूनमाराम की पुश्तैनी होना व इस वजह से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अपना जन्मतः हक होना बताकर पूनमाराम द्वारा प्रार्थिनी को किये गये 43.17 बीघा भूमि के दिनांक 04.07.2006 के बेचान को अपने 1/3 हिस्से की सीमा तक शून्य घोषित करवाने की मांग है। जबकि मूल ग्राम करना की खसरा नम्बर 208 रकबा 363.03 बीघा भूमि की तत्कालीन खातेदार श्रीमति चौथी पत्नि सोनाराम द्वारा उक्त खसरे की 175.10 बीघा भूमि पूनमाराम जोगाराम पि0 राउराम को दिनांक 29.11.71 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान विक्रय कर कब्जा सुपर्द किया गया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर पूनमाराम की क्रयशुदा एवं स्वार्जित थी। बाद में पूनमाराम ने उक्त क्रयशुदा भूमि का सक्षम न्यायालय से विभाजन करवाया, जिससे खसरा नम्बर 208/1 रकबा 87.15 बीधा भूमि पूनमाराम की आवंगी खातेदारी में दर्ज हुई। पुनः पूनमाराम ने उक्त भूमि में से 43.17 बीघा अर्थात 7.0949 हैक्टयर भूमि जरिये रजिस्ट्री प्रार्थिनी को बेचान किया, जिस पर प्रार्थिनी काबिज होकर काश्त करती आ रही है। इस प्रकार स्वार्जित सम्पति होने से पूनमाराम को पूर्ण अधिकार था। इसके अतिरिक्त उक्त बेचान को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित नहीं होकर सिविल न्यायालय में निहीत होने से भी प्रस्तुत वाद काबिल खारिज है। अतः वादीगण का वाद विक्रेता की स्वार्जित सम्पति का पूनमाराम द्वारा किये गये बेचान को गलत रूप से पुश्तैनी सम्पति बताकर किया गया होना बताते हुए प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारिज किया जावे। ... के समर्थन में वकील प्रार्थिनी ने RJB 2021 पृष्ठ 236 ... पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:02 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरित वकील विप्रार्थीगण (वादीगण) की बहस है कि मुतवफी पूनमाराम के अपने पुत्र भंवराराम के साथ निवास होने के कारण भंवराराम ने पूनमाराम पर दबाव बनाकर वादग्रस्त भूमि का अपनी पत्नी प्रार्थिनी के हक में बेचान करवा लिया, जबकि दौराने बेचान वादीगण का जन्म हो चुका होने से जन्मतः उक्त सम्पति में अपने दादा व पिता के साथ हक उत्पन्न हो चुके थे,

28/12/2022
उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

क्योंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत दादा की सम्पति में उसके पौते–पोतियों का जन्मतः हक होता है, जिसे घोषित करने एवं अविधिसम्मत बेचान को शून्य करार देने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में ही निहीत होता है। वादीगण ने अपने वाद में बेचान को निरस्त करने की नहीं, बल्कि अपने हिस्से की सीमा तक उसे शून्य घोषित करने की इस्तदुआ चाही है, जो निसदेंह राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विसाय है। प्रतिवादी सं. 2 ने न केवल पूनमाराम के जीवनकाल में अपनी पत्नी के नाम बेचान करवाया, बल्कि पूनमाराम की मृत्यु के बाद शेष भूमि से 1/3 हिस्से की खातेदार बनी अणदूदेवी पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में उसके हिस्से का हकतर्क करवा लिया, इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 भंवराराम वादग्रस्त भूमि हड़पने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। अपनी बहस जारी रखते हुए विप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादीनी सं. 4 द्वारा वादीगण को उनके जायज पुश्तैनी हकों से महरुम रखने, प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित करने और वादीगण को अनावश्य ख़र्चे से परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो सारहीन, विधिविरूद्ध एवं बेबुनियाद होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। प्रार्थना पत्र का मूल विचारणीय बिन्दुं यही है कि पूनमाराम द्वारा प्रतिवादीनी सं. 4 को किये गये बेचान वाली भूमि में वादीगण के हक निहीत है अथवा नहीं। ग्राम करना के ना0क0सं0 149, जो श्रीमति चौथीदेवी द्वारा पूनमाराम व जोगाराम द्वारा जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई खसरा संख्या 208 की 175.10 बीघा भूमि के संबंध में दायर किया गया था, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत भूंका द्वारा बिना वजह का उल्लेख किये अस्वीकार कर दिया था। बाद में न्यायालय का आदेश पारित होने पर जयि ना.क.सं. 290 मौजा करना क्रयशुदा 175.10 बीघा भूमि क्रेतागण पूनमाराम व जोगाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होकर पूनमाराम की क्रयशुदा एवं स्वार्जित थी, जिसे बेचान, रहन इत्यादि करने का उसे पूर्ण अधिकार था। [illegible] यह कथन सही है कि पुश्तैनी सम्पति, जो दादा की हो, में पौते-पोतियों का जन्मतः हक होता है, किंतु उनके हक, यदि सम्पति दादा की [illegible] है, दादा के जीवनकाल में उत्पन्न नहीं होते है। बह अपने जीवनकाल में स्वार्जित खातेदारी भूमी का किसी भी विधि से हस्तातंरण करने में पूर्ण सक्षम है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा होते है। उक्त भूमी में विप्रार्थीगण के हक उसी सूरत में पैदा होते, जबकि पूनमाराम बिना बेचान किये फौत हुआ होता। किंतु चुंकि पूनमाराम प्रार्थिनी को वादग्रस्त भूमि का बेचान करने के बाद फौत हुआ है। अतः उक्त बेचानशुदा भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:02 IST
Reason: SelfAttested

28/12/2022
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

विप्रार्थीगण की कोई दावेदारी नहीं बनती है। उक्त विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि पूनमाराम द्वारा अपनी कयशुदा भूमि का प्रार्थिनी को किया गया बेचान पूर्णतः विधिसम्मत है।

लिहाजा प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

28/12/2022

उपखण्ड अधिकारी
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma R
Date: 2023.01.03 14:12:02 IS
Reason: SelfAttested